ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय)
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(Government of India, Ministry of Power)

15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

दिनांक: 28 जनवरी, 2019

ब्यूरो के मानकों और लेबलिंग योजना के तहत पंजीकृत सभी निर्माताओं और अनुज्ञाधारकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश।

यह, ऑनलाइन सिस्टम को पूरा करने के बारे में 17 मई, 2018 को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) द्वारा जारी अलर्ट के अनुक्रम में है, जिसमें यह सूचित किया गया था कि 01 जून, 2018 से ब्यूरो, केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही भुगतान (किसी भी प्रकार का शुल्क) स्वीकार करेगा न कि ऑफलाइन मोड अर्थात् डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से।

हालांकि अलर्ट जारी करने के बाद, यह पाया गया है कि कुछ विनिर्माता अभी भी ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से लेबलिंग शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा भुगतान कर रहे हैं। तदनुसार, अनुज्ञाधारकों को एक बार फिर से निदेश दिया जाता है कि निकासी में किसी भी तरह की देरी से बचने के लिए केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से भुगतान करें। इस संशोधित अलर्ट के जारी करने के बाद भी यदि डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त होता है तो बीईई द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

समीर पंडिता

(समीर पंडिता)
निदेशक
28/01/2019

चौथा तल, सेवा भवन, आर० के० पुरम, नई दिल्ली–110 066, वेबसाईट / Website : www.beeindia.gov.in
4th Floor, Sewa Bhawan, R.K. Puram, New Delhi-110 066 टेली / Tel.: 91 (11) 26766700, फैक्स / Fax: 91 (11) 26178352